सं0-1517/IV(2)-श0वि0-11-12(सा0)/10

प्रेषक,

डा0 रणबीर सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1- प्रशासक/मुख्य नगर अधिकारी,
नगर निगम, हरिद्वार/हल्द्वानी/
देहरादून।

2- समस्त अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका प[illegible] पंचायत,
उत्तराखण्ड।

शहरी विकास अनुभाग-2 देहरादून : दिनांक 22 नवम्बर, 2011

विषयः-नगर निकायों के अन्तर्गत सम्पत्ति कर को लगाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या 1232/IV(2)-10-12(सा0)/10 दिनांक 19-7-2010 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें माध्यम से सम्पत्ति कर की वसूली पूर्व की भांति ही किये जाने तथा यदि किसी भी प्रकार की वृद्धि प्रस्तावित हो तो शासन की पूर्व अनुमति प्राप्त किये जाने के निर्देश दिये गये है।

2- उपरोक्त के क्रम में नगर निकायों के अधिकारियों/प्रतिनिधियों ने विभिन्न बैठकों में इस बिन्दु को रेखांकित किया है कि उक्त शासनादेश के कारण नये भवनों/क्षेत्रों में कर लगाने की कार्यवाही सम्भव नहीं हो पा रही है तथा पूर्व में त्रुटिपूर्ण हुए कर निर्धारण में भी सुधार कर पाना सम्भव नहीं हो पा रहा है, जिस कारण नगर निकायों की आय में प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त शासनादेश दिनांक 19-7-2010 के प्राविधानों के अनुसार करों में वृद्धि नहीं की जा सकती है, परन्तु उक्त शासनादेश नये भवनों/क्षेत्रों में कर लगाने तथा पूर्व में त्रुटिपूर्ण हुए कर निर्धारण में सुधार करने को प्रतिबन्धित नहीं करता है। अतः तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

/

(डा0 रणबीर सिंह)
प्रमुख सचिव।

Pl. upload 28/11/11

1-10-2011

Yogendra

Dy-9630 Dated-28/11